राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(6) मूल्यांकन/न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 03.12.2019

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः—लाईट्स सॉफ्टवेयर पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.2(3)बैठक/न्याय/2016 दिनांक 02.02.2017 के माध्यम से लाईट्स सॉफ्टवेयर में मूल्यांकन रिपोर्ट की आवधिक (पाक्षिक/मासिक) समीक्षा कर अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट में विभाग की स्थिति (रैंक) में उन्नयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन रिपोर्ट को अद्यतन बनाने के उद्देश्य से मूल्यांकन रिपोर्ट में संशोधन कर निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर बिन्दुवार महत्व (Weightage) देकर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित किया गया है :—

क्र. सं.	बिन्दु	महत्व (Weightage)
1	**न्यायिक प्रकरणों के दस्तावेज (Documents) अपलोड करने से शेष न्यायिक प्रकरणों का प्रतिशत।**	**25%**
2	जवाबदावा प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणों का प्रतिशत।	20%
3	राज्य सरकार के खिलाफ निर्णीत प्रकरणों में अपील करने से शेष प्रकरणों का प्रतिशत।	20%
4	राज्य सरकार के खिलाफ निर्णीत प्रकरणों की पालना करने से शेष प्रकरणों का प्रतिशत।	**20%**
5	अवमानना प्रकरणों का प्रतिशत।	15%

अतः उक्त वर्णन के परिप्रेक्ष्य में आपसे पुनः अनुरोध है, कि उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट की आवधिक (पाक्षिक/मासिक) समीक्षा कर अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट में विभाग की स्थिति (रैंक) में उन्नयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\ P. 2(6) LITES – Evaluation Report